

क्रमांक:-प.4(9)कृषि/गुप-2/2009/(नीति 2010) दिनांक 18 जनवरी, 2012

संशोधित आज्ञा

विभागीय समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09 जुलाई 2010 के द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1963 के नियम 56(ए) के उप नियम (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निजी मण्डी अनुज्ञप्तिधारक को निजी मंडी के रखरखाव एवं विकास हेतु निजी मंडी से संग्रहित होने वाले मण्डी शुल्क की राशि में से 20 प्रतिशत राशि संदाय किये जाने की आज्ञा जारी की गयी थी। उक्त आज्ञा में "राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1963" के स्थान पर "राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963" पढा जावे।


राज्यपाल के आदेश से,

ए

(अनिल गुप्ता)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री कृषि विपणन
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर
5. रक्षित पत्रावली

  
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांक: निकृवि/नियमन/कु.प्र.प्रो.नीति/10/ 47611-749 दिनांक: 2/2/12

राज्य सरकार से प्राप्त संशोधित आज्ञा दिनांक 18.1.12 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
2. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति।

  
अति. निदेशक  
कृषि विपणन